Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय-प्रथम

शोध परिचय

अध्याय - प्रथम
शोध परिचय

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.1 विषय प्रवेश / भूमिका :-

किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारतीय संविधान (1950) के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि, आगामी 10 वर्षो में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये, परन्तु 58 वर्षो के अथक प्रयासों के उपरान्त भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। शासकीय एवं अशासकीय प्रयासों के के बाद मात्र 63 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की है। अभी भी 37 प्रतिशत बालक शिक्षा की धारा से नहीं जुड़ सके।

भारतीय शिक्षा आज एक विचित्र मन स्थिति में जी रही है। उपलब्धियों पर गर्व करती हुई और निष्कर्षो पर लज्जित। भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी दिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने जनसंदेश में घोषित किया।

"भविष्य हमें पुकार रहा है। हम किधर चलेंगे और हमारा प्रयास क्या होगा? आम आदमी तक, भारत के किसानों ओर मजदूरों तक स्वतंत्रता और अवसर पहुँचाना, गरीबी और अज्ञान, बीमारी से संघर्ष करना और उन्हें खत्म करना, एक सम्पन्न लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाऐं वड़ी करना, जो प्रत्येक नर-नारी को न्याय और जीवन की सम्पूर्णता दिला सके।" (गुप्ता, 1990, पी.पी.1-2)

इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है। शिक्षा ही वह सामाजिक संस्था

है, जो न्याय और जीवन की संपूर्णता, स्वतंत्रता, गरीबी और बीमारी से मुक्ति प्रत्यक्षः भले न दे, उसकी दिखाकर प्राप्ति के लिये संघर्ष की प्रेरणा अवश्य दे सकती है। शिक्षा ही समाज और समाज की प्रगति की आधारशिला होती है। शिक्षा ही व्यक्ति की नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित कर उन्हें समाज का अर्थपूर्ण सदस्य बनाती है। यही कारण है कि देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं।

वर्तमान परिपेक्ष्य में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एवं इन दोनों के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था के तहत् किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। व्यावसायिक शिक्षा का आवश्यक अंग बनाकर जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिये, चाहे वह भारत के महानगर हों या दूर दराज के जनजातिय क्षेत्र।

जनजातियाँ सभ्य समाज से दूर पिछड़ी हुई एवं समाज द्वारा शोषित जातियाँ हैं, जो कि शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। आजादी प्राप्त कर लेने और संविधान बनने पर इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयत्न आरम्भ हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों के लिये कहा गया है कि -

"राज्य जनता के दुर्बलतम् वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके आर्थिक हितों के लिये विशेष प्रयास करेगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा।" (शर्मा 1994, पृष्ठ-13)

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.2 जनजाति या आदिवासी का अर्थ एवं परिभाषा :-

भारत देश के प्रजातीय इतिहास से एक उल्लेखनीय यह बात ज्ञात होती है कि यहाँ प्राचीनकाल से ही विभिन्न प्रजातियाँ संस्कृति के महासागर से प्रारम्भ से ही विलीन होने में असमर्थ रही है। ये प्रायः

सभ्य समाज से दूर जंगली पहाड़ी या पठारी, क्षेत्र में रहते हैं और प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ी हुई है।

आदिवासी की कुछ प्रमुख परिभाषाऐं निम्न प्रकार से है :-

01 **मुजुमदार (1962) :-** "जनजाति कुछ परिवारों का समूह है जो निश्चित भू-भाग में निवास करता है, एक भाषा बोलता है। परस्पर शादी, विवाह करता है। एक व्यवसाय अपनाऐं हुए है और व्यवस्था रखने के लिये एक मानचिन्ह स्थिर किये हुए है।

02 **हर्टन (1982) :-** "मध्यप्रदेश में निवास करने वाले आदिवासियों को आस्ट्रिलियाई प्रणाली के समूह का बताया है। इस तरह स्पष्ट है कि आदिवासी वह क्षेत्रीय मानव समूह है जो भू-भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य की दृष्टि से एक सामान्य सूत्रों में बंधा है।"

03. **रिजले और ठक्कर बापा (1964) :-** जनजाति को वन्य जाति कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुछ जनजातियाँ आज भी वनों में रहती है और वे सभ्यता के आरवटे युग की सभूति दिलाती है। जब मनुष्य जीवन शैली के आधार पर पशु की कोटि में था तब हिंसक और मांसभक्षी था। आज भी कुछ जनजातियाँ वैसे ही विचरण करती हैं। इनमें कुछ तो आज भी मानव मांसभक्षी हैं, इसमें से कोई जनजाति 'चारागाह युग' का स्मरण करती है। 'जैसे बंजारे जो पालतू पशुओं को साथ लेकर देश-देशोन्तरों में भ्रमण करते हैं।

04. **गिलिन और गिलिन (म.प्र. के सन्दर्भ 1982 में) :-** स्थानिक आदिम समूह के किसी भी समूहों को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो और एक समान भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो। उसे आदिवासी कहते हैं।

05 **रिवर्स (1980) :-** सामान्य निवास स्थान को महत्व न देते हुये जनजाति को ऐसी सामाजिक समूह बताया है, जिसके सदस्य तक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित कार्य करते हैं, परन्तु उपरोक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि जनजातियाँ का सामान्य निवास क्षेत्र नहीं होता है।

वे घुमक्कड़ प्रवृत्तियों के होते हैं, परन्तु फिर भी इनका जीवन निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है।

इसी प्रकार की परिभाषा यह बताती है कि आदिवासी एक पिछड़ा हुआ समाज है और परिवर्तन विरोधी होने के कारण आज भी पिछड़ा हुआ है। जादू-टोना, अशिक्षा, रहन-सहन का निचला स्तर भाषा और साहित्य से वंचित, मानव जीवन की प्रारंभिक दशा में स्थिर आदि कुछ ऐसा अधिकार है, जो जनजाति है की अवधारणा व्यक्त करते हैं।

1.3 अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक प्रावधान :-

भारतीय संविधान समानता और न्याय के आदर्शों पर प्रतिष्ठित है। ऐसी समानता और न्याय की स्थापना का प्रयास राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में किया गया है। इसलिए संविधान धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के किसी वर्ग में भेदभाव का प्रतिषेध करता है। इस आदर्श की प्राप्ति के उद्देश्यों से ही इसने धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व या विधानमंडलों या सरकारी नौकरियों के लिए पदों के आरक्षण की प्रथा को समाप्त कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उक्त आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समुचित उपबन्ध किया है, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इन वर्गों को प्रारम्भ में सहायता न दी जायेगी, देश के विकास की गति अवरुद्ध

LIBRARY Bhopal

हो जाएगी। प्रजातांत्रिक समानता के आदर्श केवल तभी साकार हो सकते हैं, जबकि देश के समस्त वर्गों को एक स्तर पर लाया जाये।

आदिवासी का सर्वप्रथम विशेष उल्लेख- Government of India Act, 1935 में किया गया, जिसके अन्तर्गत असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रान्त, मद्रास, उड़ीसा की कुल पिछड़ी आदिवासी जातियों का तेरहवें अनुच्छेद (Provincial Legerlative Assemblies) order, 1936 में समावेश किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा 1950 में आदिवासी एवं आदिवासी समुदायों को अनुच्छेद 342 (1) में अधिसूचित किया गया, तभी से यह "अनुसूचित जनजाति" माने जाते हैं।

1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपरोक्त सूची Schedul Castes and Schedul Tribes Order (Amendment) Act, 1956 के अन्तर्गत संशोधित की गयी। यह आदेश 1976 में पुनः संशोधित किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप जो जनजातियाँ क्षेत्रीय आधार पर अधिसूचित की गयी थी, उनको व्यापक बनाकर पूरे राज्य में अधिसूचित है।

अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा इन जातियों को उल्लिखित करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियाँ समझी जायेंगी। यदि ऐसी कोई सूचना किसी राज्य से सम्बन्धित है तो वह राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जा सकेगी। संसद विधि द्वारा खण्ड (1) के अधीन निकाली गयी अधिसूचना में उल्लेखित सूची के अन्तर्गत किसी आदिम जाति समुदाय या आदिम जाति को शामिल कर सकती है या निकाल सकती है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.4 आदिवासी के लिये संवैधानिक प्रावधान :-

भारतीय संविधान में इन आदिवासियों के लिये कई प्रकार के प्रावधान रखे गये हैं। ये प्रावधान विशेषकर आदिवासी पिछड़े समाज के

लिये रखे गये हैं।

1. **भाग–3 (अनुच्छेद–29)** :– भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों, वचित वर्ग एवं आदिवासियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा।

2. **भाग–4 (अनुच्छेद–46)** :– राज्य वंचित वर्ग, आदिवासी एंव हरिजनों, अल्पसंख्यकों वर्ग (6) वर्ग की शिक्षा एवं आर्थिक सहायता करके उन्हें उनके पूर्ण विकास करने में सहायता देकर आगे बढ़ोयगा।

3. **भाग–2 (ए. अनुच्छेद–275)** :– के अनुसार, यह सरकार द्वारा राज्य सरकार को वहाँ के आदिवासियों की प्रगति के लिये केन्द्र सरकार से आर्थिक महत्व दिलवाना है।

4. **अनुच्छेद (ए–339)** :– के अनुसार, राष्ट्रपति संविधान बनने के बाद दस वर्ष पूर्ण होने तक या कभी भी आदिवासी कल्याण की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5. **अनुच्छेद (ए–340)** :– भारत के राष्ट्रपति किसी भी कमीशन को नियुक्त करके आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की जानकारी प्राप्त करके उनकी कठिनाईयों को अपने तरीके से दूर कर सकता है।

6. **संविधान के (अनुच्छेद–15)** :– के अनुसार, राज्य (देश) किसी भी नागरिक के विरूद्ध जाति, वर्ग, लिंग, उन्नति एवं जन्मस्थान आदि कारणों से अन्याय नहीं करेगा।

7. **संविधान के (अनुच्छेद–29)** :– के पिछड़े वर्ग के नागरिकों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एंव शैक्षणिक उन्नति एवं प्रगति के लिये विशेष प्रावधान का उपयोग किया गया है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

8. **संविधान के (अनुच्छेद-29:(द्वतीय))** :- में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने को मना नहीं करेगा। अपनी जाति, धर्म, प्रगति, भाषा, संस्कृति आदि के लिये राज्य को अधिकृत किया गया हैं

9. **संविधान के (अनुच्छेद-46)** :- में राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कहा गया है कि शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखना, उनकी प्रगति एवं उन्नति करने में सहायता देना तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से इनकी रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा।

1.5 कोठारी कमीशन (1964-66) में आदिवासी शिक्षा :-

कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के अवसरों की विषमाओं का तक और कारण यह है कि, जनसंख्या तक का बहुत बड़ा भाग निर्धन है। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार "उन्नत वर्ग और पिछड़े अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक विकास का अन्तर पहले अन्तर जितना ही बड़ा है और कभी-कभी उससे भी अधिक बड़ा होता है।"

कोठारी आयोग ने शैक्षिक विषमताओं के निकाकरण के निम्नलिखित उपाय बताये हैं :-

1. विद्यालय में निर्धन वर्ग के बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चत्तर शिक्षा की संस्था में पुस्तक बैंकों का कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिये।

3. स्त्रियों की शिक्षा के लिये आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिये।

Regional Institute LIBRARY Bhopal

4. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिये छात्रावास की योजना की जानी चाहिये।

5. आदिम जाति क्षेत्र पर सरकारी संगठनों पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

6. सभी स्तरों तथा सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है।

7. माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये, जिससे छात्र उनका प्रयोग कर सके।

8. सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ अपनाया चाहिये, जिससे विभिन्न जिलों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक विकास की क्षमता आ सके।

9. शुल्क धीरे-धीरे घटा देनी चाहिये। छात्रों की पुस्तकें - स्टेशनरी, दिन का भोनज और विद्यालय की वर्दियाँ भी मुफ्त दी जाना चाहिये। छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना आवश्यक है।

1.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में आदिवासी शिक्षा :-

आदिवासियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिये अग्रलिखित कदम उठाये जाने के लिए कहा है :-

1. आदिवासी इलाके में प्राथमिक शालायें खोलने के काम को पहला महत्व शिक्षा के लिए सामान्य निधि तथा एन.आर.ई.पी. और आर. एल.ई.पी.जी., जनजाति कल्याण योजनाओं आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

2. आदिवासियों के माहौल का अपना अलग रंग होता है। उनकी विशिष्ठता प्रायः अन्य बातों के साथ अपनी बोलियों में निहित है। पाठ्यक्रम में इनकी अहमियत नहीं भुलाई जाना चाहिये। पढ़ाई की शुरूआत ही उनकी अपनी भाषा से होनी चाहिये। आगे चलकर प्रादेशिक भाषा की खाई को पार किया जा सकता है।

3. पढ़े-लिखे और प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

4. बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय एवं आश्रम विद्यालय खोले जायेंगे।

5. आदिवासियों के लिये उनकी जीवनशैली और खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुये प्ररेणादायी योजना तैयार की जायेगी। उच्च शिक्षा के लिये ही जाने वाली छात्रवृत्ति में तकनीकि और अच्छी व्यावसायिक पढ़ाई का ज्यादा महत्व दिया जाए। मनावैज्ञानिक, सामाजिक प्रबंधनों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक, पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जायेगी।

6. आंगनबाड़ियाँ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खोले जायेंगे।

7. हर कक्षा के लिये पाठ्यक्रम तय करते हुये इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि आदिवासी छात्र अपनी कीमती, तहज़बी, पहचान के प्रति सचेत रहे और उसक सृजनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर सके।

Regional Institu
LIBRAR
Bhopal

8. बड़ी संख्या में आश्रम विद्यालय एवं आवासीय शाला खोले जायेंगे।

9. अनुसूचित जनजाति के लिये उनकी जिन्दगी के तौर तरीकों और उनकी खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुये ऐसी योजनायें तैयार

की जायेगी, जिसमें शिक्षा के प्राप्ति में आने वाली बाधायें दूर हो जाये।

10. उच्च शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियों से तकनीकि स्तर व्यावसायिक पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जायेगा।

1.7 महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति आदिवासी :-

20-26 जातियों को अनुसूचित जातियाँ, आदिवासियों में स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में बहुतांश भाग में आदिवासी निवास करते हैं। इनमें गोंड व माड़िया, कोरकू जनजातियाँ सबसे अधिक हैं। उनकी कुल जनसंख्याओं से आधे से अधिक संख्या गोंड लोगों की है। गोंड प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ी नदी के किनारे रहना अधिक पसन्द करते हैं। गोंडों के अधिकांश गांव, सड़क से दूर जंगलों में बसे रहते हैं। प्राकृतिक जीवन ही उनका आदर्श जीवन है।

Regional Institute LIBRARY Bhopal

1.8 सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जिल्हानिहाय कुल जनसंख्या और उसमें से आदिवासी जनसंख्या और उनका प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण-पत्र।

अ. क्र.	जिला	प्रकल्प	कुल जनसंख्या	उसमें से आदिवासी जनसंख्या	आदिवासी जनसंख्या में कुल प्रतिशत (अंक लाख में)
1.	नागपुर	नागपुर	40.68	4.45	10.93
2.	वर्धा	नागपुर	12.36	1.55	12.53
3.	भंडारा	देवरी	11.36	0.98	8.63
4.	गोंदिया	देवरी	12.01	1.95	16.28
5.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर/चिमूर	20.71	3.75	18.11
6.	गडचिरोली	गडचिरोली/ अहेरी/भामरागढ़	9.70	3.72	38.35
		कुल सात प्रकल्प	**106.83**	**16.40**	**15.35**

1.9 शब्द परिचय :-

शिक्षा एंव मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध संपादन करने में विशिष्ट तकनीकि शब्दों एवं शोध यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः अधिकांश पाठक आसानी से समझ नहीं पाते हैं। अतः शोधकार्य का लाभ सामान्य पाठकों तक पहुंचाने के लिये एवं शोध अंशों को आसानी से समझने के लिये आवश्यक है, कि कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण किया जाये।

प्रस्तुत लघुशोध में प्रयुक्त किये गये कुछ मुख्य शब्दों का परिभाषीकरण शोधकर्ता द्वारा इस प्रकार किया गया है।

1. अनुदान :-

किसी योजना अथवा कार्य के लिए शासन द्वारा दिया गया ऐसा धन, जो वापस नहीं लिया जाता है एवं ऋण के रूप में ना होकर दान के रूप में होता है, अनुदान कहलाता है।

2. जनजाति :

मजूमदार (1962) :- "जनजाति कुछ परिवारों का समूह है, जो एक निश्चित भू-भाग में निवास करता है, एक भाषा बोलता है, परस्पर शादी विवाह करता है, एक व्यवसाय अपनाये हुए है, और व्यवस्था रखने के लिये एक मान्य चिन्ह स्थिर किये हुए है।" (मल्होत्रा,1984-85,पृ.-36)

3. आदिवासी :-

"आदिवासी शब्द जनजाति शब्द का पर्यायवाची है। जनजातियाँ आदिकाल से एक ही स्थान पर एक ही तरह का रहन-सहन, भाषा, संस्कृति का अनुसरण करती आ रही है, जिसके फलस्वरूप जनजातियों को आदिवासी भी कहा जाता है।"

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

1.10 समस्या की आवश्यकता :-

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्रों में शैक्षिक विकास हेतु अनुदान प्राप्त विद्यालय संचालित है। अनुदान प्राप्त आश्रम विद्यालयों पर पर्याप्त शोध कार्य नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर जनजातिय समुदाय वर्तमान युग में ऐसे स्थान पर खड़ा है, जहाँ से ऊर्जा के स्त्रोतों के दोहन द्वारा मानव समाज के हित एवं प्रगति के साथ-साथ स्वयं जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति संभव है।

आज आजादी के 58 साल बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बाते करते हुए भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग यानी आदिवासी अभी तक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा ही नहीं, अपितु वंचित रहा है। आदिवासी अभी तक समाज के प्रवाह से जुड़ा नहीं है।

भारत सरकार ने आदिवासी विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए एवं आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आश्रम स्कूल की संकल्पना का विकास किया गया और हर वो सुविधाऐं आश्रम, स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। इतना ही नहीं आदिवासी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने हेतु एक स्वतंत्र 'विकास यंत्रणा' का भी निर्माण किया गया, जो कि इन स्कूलों के विकास का मूल्यांकन कर सकें।

लेकिन दुर्भागयवश आश्रम स्कूल अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। अतः आश्रम स्कूलों की सद्यःस्थिति का वहां की शैक्षिक सुविधाओं का, गतिविधियों का एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना इस संशोधन का एकमात्र उद्देश्य है।

इस अध्ययन द्वारा आदिवासी आश्रम स्कूलों की सद्यःस्थिति सामने आयेगी। इनकी समस्याओं के कारणों का पता चलेगा और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय बताये जा सकेंगे। साथ ही डसमें

बदलाव लाने हेतु कुछ दिशा-निर्देश दिये जायेंगे, जिसका उपयोग प्रशासन को होगा और वह अपनी आदिवासी विकास की स्थिति आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे।

National Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.11 शोध समस्या के उद्देश्य :-

1. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करके आवश्यकतानुसार सुधार हेतु सुझाव देना।

1.12 शोध प्रश्न :-

1. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं में क्या समानताऐं हैं ?
2. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की गतिविधियों में क्या क्या समानताऐं हैं ?
3. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की उपलब्धियों की क्या समानताऐं हैं ?
4. शासकीय एवं अनुदानित आश्रम विद्यालयों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करके उनके सुधार हेतु क्या सुझाव हो सकते हैं ?

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.13 शोध समस्या की सीमाएँ :-

- प्रस्तुत अध्ययन केवल नागपुर संभाग के आश्रम स्कूलों तक सीमित है।

- प्रस्तुत अध्ययन में नागपुर संभाग के देवरी प्रकल्प की आश्रम स्कूलों को ही सम्मिलित किया गया है।

- भौगोलिक दृष्टि से इसे भंडारा एवं गोंदिया जिले तक ही सीमित रखा गया है।

- प्रस्तुत अध्ययन में नागपुर संभाग के शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों को ही सम्मिलित किया गया है।

- प्रस्तुत अध्ययन में शासकीय एवं अनुदानित आश्रम स्कूलों की शैक्षिक सुविधाओं, गतिविधियों एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

- प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए दो शासकीय एवं चार अनुदानित आश्रम स्कूलों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसार है :-

1) शासकीय आश्रम शाला – खापा (खुर्द) ता. तुमसर जिला भंडारा
2) शासकीय आश्रम शाला – कोयलारी ता. तिरोड जिला गोंदिया
3) जी.ई.एस. आश्रम शाला – येरली ता. तुमसर जिला भंडारा
4) महाराणी दुर्गावती शिक्षण संस्था द्वारा संचालित, स्व. इंदिराबाई मरस्कोल्हे खाजगी आश्रम शाला–पवणारखारी ता.तुमसर जिला भंडारा
5) खाजगी माध्यमिक आश्रम शाला–आंबांगड़ ता. तुमसर जिला भंडारा
6) विकास आश्रम शाला – कवलेवाड़ा ता. गोरेगांव जिला गोंदिया।